the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the emergency meeting of the Registration Committee of the Central Insecticides Board was held on the 25th July, 1981, to take a decision for the grant of registration under section 9(4) of the Insecticides Act, 1968;

(b) if so, what are the details of the decision taken; and

(c) what action has been taken by Government in the light thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) to (c). Yes, Sir. The Registration Committee in its meeting held on 25th July, 1981, *inter alia*, considered the question of grant of registration under Section 9(4) of the Act.

The Registration Committee has taken the decision that registration under Section 9(4) of the Act may be granted under relaxed criteria provided the applicant seeking registration under Section 9(4) submits satisfactory evidence that the chemical composition (recipe) of his product is identical to the one on which the registration for the same product under section 9(3) has been granted and the required data of that very recipe has been/is being generated for the satisfaction of the Registration Committee.

Some further clarification on related issues has been sought by the Registration Committee from the Government. No final decision has been taken by the Government in this regard.

Repairs and Furnishing of the Residence of the Chairman, Railway Board.

2044. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state the item-wise expenditure incurred on the repairs and furnishing of the residence of the present Chairman, Railway Board, and when it was done?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): An expenditure of Rs. 14,731 has so far been incurred on repairs and furnishing of bungalow No. 2 Kushak Road, residence of Chairman Railway Board, as per the details below:

(i) Expenditure on furnishingx	Nil
(ii) Expenditure on annual repairs, white-washing, distempering & painting, repairs of plaster etc.	Rs. 8635
(iii) Special Repairs . .	Rs. 2496
(iv) Regrassing of Lawns . .	Rs. 3600
	Rs. 14731

The works were executed during the period from May to July, 1981.

नागरिक पूर्ति प्रणाली में एकरूपता

2045. **श्री बापूरावजी मारुतरावजी देशमुख** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में नागरिक पूर्ति व्यवस्था को एकरूपता प्रदान करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(ख) आवश्यक वस्तुओं को सुगमता से उपलब्ध करवाने हेतु क्या कारगर कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन मोहन्ती) : (क) देश भर में चल रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सामान्यत: एकरूपता है। इसके अन्तर्गत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्रों के माध्यम से सारे देश मे खाद्यान्न, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी का तेल जैसी चुनी आवश्यक वस्तुयें वितरित की जाती हैं।

(ख) सरकारी नीति में मुख्य बल विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर दिया जाता रहा है। आधार ढांचे में और सुधार लाने के प्रयासों को जारी रखा जा रहा है, क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन तथा उनकी ढुलाई के कार्य में आई तेज गति को बनाये रखने के लिये यह बहुत ही जरूरी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है और परिचालन की दृष्टि से इसे अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। पैट्रोलियम पदार्थों, खाद्य तेलों, गेहूं तथा चीनी जैसी कुछ वस्तुओं की उपलब्धता में आयात करके वृद्धि की जा रही हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जो वस्तुयें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री के लिये हैं, उनका वितरण उचित प्रकार से किया जाये। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा ऐसे अन्य कानूनों के उपबन्धों को भी लागू कर रही हैं, ताकि जमाखोरों, कालाबाजारियों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों को रोका जा सके।

प्रधान मंत्री के आवास के निकटवर्ती बंगलों के आवंटन हेतु मापदन्ड

2046. **श्री सत्यपाल मलिक :** क्या **निर्माण तथा आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के आवास के निकटवर्ती बंगलों का आबंटन करते समय कोई मापदन्ड अपनाया जाता है, यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं और

(ख) इस समय प्रधान मंत्री के आवास के बराबर वाले बंगले किस किस व्यक्ति को आवंटित हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) जी, नहीं। प्रधान मंत्री के आवास के निकटवर्ती बंगलों का आवंटन करने के लिये कोई विशिष्ट मापदण्ड निर्धारित नही किया गया है क्योंकि इस बारे में अभी तक कोई मापदण्ड निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई।

(ख) प्रधान मंत्री के निवास के बगल में दोनों ओर दो बंगले अर्थात्, 3 सफदरजंग रोड और 2, अकबर रोड जो क्रमशः संसद् सदस्य श्री राजेश पायलट और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री सी० पी० एन० सिंह के दखल में है।

सारणी, मध्य प्रदेश के तापीय विद्युत संयंत्र से वायु प्रदूषण

2047. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सारणी मध्य प्रदेश के तापीय विद्युत संयंत्र से उड़ने वाली राख से होने वाले वायु-प्रदूषण को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : सारणी तापीय विद्युत संयंत्र के तीन पावर हाउस है। पावर हाउस नं० 1 में इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर लगाने के लिये निविदायें आमंत्रित कर ली गई है। पावर हाउस नं० 2 में डस्ट कलैक्टर साइक्लोन एण्ड इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर लगा हुआ है। पावर हाउस नं० 3 निर्माणाधीन है और उसमें इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर लगाने का प्रावधान रखा गया है।

Reservation of Flats for M.Ps

2048. SHRI SURENDRA MOHAN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer